नेतरहाट विद्यालय समिति की, कार्यकारिणी समिति की, सभापति, श्री नरेन्द्र भगत, भा.प्र.से.,(से.नि.), की अध्यक्षता में 01.02.2016 (सोमवार) को संपन्न बैठक की कार्यवाही :

1. उपस्थिति : संलग्न है।

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा (श्री मनीष रंजन,भा.प्र.से.) ने, बैठक प्रारंभ होने के पूर्व, बैठक में उनकी सहभागिता हेतु समिति कार्यालय द्वारा, दूरभाष पर संपर्क किये जाने पर, बताया कि वे उस दिन झारखण्ड अधिविध परिषद् में आहूत बैठक में भाग लेने हेतु जैक कार्यालय के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। अस्तु 'समिति' की बैठक में भाग लेने हेतु वे अनुपलब्ध हैं।

2. विगत बैठक दिनांक–27.11.2015 की कार्यवाही में निम्नलिखित विषयक निर्णय का उल्लेख किया जाना, भूलवश, छूट गया था;

''प्राचार्य–सह–सदस्य सचिव द्वारा, कार्यकारिणी समिति की दिनांक–12.10.2015 की बैठक की कार्यवाही के अनुपालन प्रतिवेदन की कंडिका–6.2 में, यह इंगित किया गया कि विद्यालय के रसायन शास्त्र प्रयोगशाला के जीर्णोद्धार एवं आधुनिकीकरण के कार्य हेतु आदेश चयनित एजेन्सी को निर्गत किया गया था। परन्तु सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार के दिनांक–09.11.2015 के विद्यालय परिदर्शन के क्रम में, इस सम्बन्ध में पूछ–ताछ की गई एवं विहित प्रक्रियानुसार कार्य का आवंटन न होने के कारण तत्काल इसे स्थगित करने का निदेश प्राचार्य को दिया गया।

बैठक में यह स्पष्ट किया गया कि वस्तुतः संदर्भित कायदिश चयनित एजेन्सी के पक्ष में EoI के माध्यम से प्राप्त आवेदनों के आधार पर किया गया तथा साथ ही, इस बिन्दु का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया कि भवन निर्माण विभाग के प्रभावी अनुसूचित दरों के अनुरूप ही कार्य कराये जाने है तथा तत्सम्बन्धी विपत्र के भुगतान किये जाने हैं।

तथापि प्रशासी विभाग के सचिव की यथा उपर्युक्त आपत्ति के आलोक में यह निर्णय लिया गया कि चयनित एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित कार्य हेतु समर्पित Cost Estimate की विधिवत तकनीकी स्वीकृति भवन निर्माण विभाग से प्राप्त कर ली जाय।''

उक्त निर्णय को बैठक की कार्यवाही में सम्मिलित किए जाने का समिति का निदेश हुआ।

उपर्युक्त संशोधन के साथ विगत बैठक की कार्यवाही की संपुष्टि की गई।

3. प्रभारी प्राचार्य-सह-सदस्य सचिव द्वारा प्रस्तुत विगत बैठक की कार्यवाही के अनुपालन प्रतिवेदन की बिन्दुवार समीक्षा की गई। तद्नुसार प्रतिवेदन के अनुपालन कॉलम में, बिन्दुवार, निम्नानुसार संशोधन किये जाने का निर्णय लिया गया

क्रम सं. 2 अनुपालित।

क्रमांक 9.1 (ख) प्रशासी विभाग / 'समिति' के सामान्य निकाय के सम्बन्धित।

(ग) प्रशासी विभाग / 'समिति' के सामान्य निकाय के सम्बन्धित।

(ड.) प्रशासी विभाग / 'समिति' के सामान्य निकाय के सम्बन्धित।

(च) प्रशासी विभाग के संबन्धित।

(छ) प्रशासी विभाग से संबन्धित।

उपर्युक्त संशोधन के साथ अनुपालन प्रतिवेदन की स्वीकृति दी गई।

क्रमांक 5.3 शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नेतरहाट के स्तर पर समिति द्वारा लिए गए तथा संसूचित निर्णय का अनुपालन प्रतिवेदन प्रतीक्षित है।

3.**(क)** 'समिति' के वित्तीय वर्ष 2014-15 में किये गये लेखा संधारण से संबन्धित चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा किये गए अंकेक्षण तथा तत्सम्बन्धी समर्पित प्रतिवेदन बैठक में प्रस्तुत किया गया। अंकेक्षण प्रतिवेदन के साथ संलग्न कतिपय महत्वपूर्ण सुझावों पर बिन्दुवार चर्चा की गई तथा प्रतिवेदन में यथा लिखित कतिपय उन बिन्दुओं - **यथा - रोकइपंजी के वर्षवार अलग-अलग संधारण नहीं किया जाना; Bank reconciliation statement (BRS) का प्रतिमाह तैयार किये जाने की पद्धति का अनुसरण नहीं किया जाना; Bills and Vouchers के विवरण संधारण नहीं किया जाना; आपूतिकर्त्ता, मां अम्बे भंडार, लोहरदगा द्वारा एक ही विपत्र सं. 378 द्वारा दो अलग-अलग तिथियों - 08.05.2014 तथा 25.08.2014 - द्वारा भिन्न-भिन्न राशि के विपत्र समर्पित किया जाना; रोकइपंजी के साथ-साथ Ledger पंजी के संधारण की पद्धति का अनुसरण नहीं किया जाना; तथा कार्यालय के वित्त शाखा में कार्मिकों के**

मध्य कार्यसंपादन में आपसी समन्वय का अभाव तथा संबन्धित संचिकाओं एवं कागजातों के प्रभारी कार्मिकों के मध्य स्पष्ट जानकारी का अभाव होना – इन सभी बातों एंव बिन्दुओं को बैठक में सदस्यों ने विद्यालय प्रशासन के स्तर पर अपनायी जा रही वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली के प्रति गंभीर चिन्ता व्यक्त की गई है।

बैठक में उपस्थित प्रभारी प्राचार्य सहित प्रशासी पदाधिकारी (श्री सुहर्ष कुमार) तथा बर्सर (श्री रौशन बक्सी) को समिति का यह निदेश हुआ कि उक्त अंकेक्षण प्रतिवेदन के साथ संलग्न सुझाव के सभी बिन्दुओं पर, यथा सुझावानुसार, कार्रवाई तत्काल प्रारंभ की जाय तथा आगामी 31 मार्च 2016 तक अथवा उसके पूर्व तत्सम्बन्धी अनुपालन प्रतिवेदन सभापति को समर्पित किया जाना सुनिश्चित करेंगे। आपूर्तिकर्त्ता मां अम्बे भंडार, लोहरदगा से प्रतिवेदन में इंगित अनियमिता हेतु स्पष्टीकरण प्राप्त कर प्राचार्य अपने मंतव्य के साथ, सभापति का आगामी 15 दिनों के अंदर अपना प्रतिवेदन देंगे।

उपर्युक्त अवलोक के साथ वित्तीय वर्ष 2014–15 का चार्टर्ड एकाउन्टेट द्वारा समर्पित संदर्भित अंकेक्षण प्रतिवेदन स्वीकार किया गया। साथ ही, प्राचार्य–सह–सदस्य सचिव को यह निदेश दिया गया कि समिति नियमावली के नियम 12(i) में विहित प्रावधान के आलोक में वर्ष 2014–15 का 'समिति' का अंकेक्षित लेखा प्रतिवेदन – अंकेक्षक द्वारा प्रस्तुत सुझावों सहित – सामान्य निकाय की दिनांक–11 फरवरी, 2016 को आहूत बैठक की कार्यसूची में सम्मिलित कराये जाने को विधिवत् लिखित अनुरोध ससमय अध्यक्ष–सह–मंत्री, प्रशासी विभाग से करें।

तत्संबंधी एजेन्डा नोट में कार्यकारिणी समिति के उपर्युक्त निर्णय का अवतरण भी संलग्न कर दें।

(ख) विद्यालय प्रशासन स्तर पर अपनायी जा रही वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली की समीक्षा की गई। तदोपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिए गये :

(i) वित्तीय अन्तर्गस्तता वाले सभी प्रस्ताव वित्त अनुभाग के संबन्धित लेखा लिपिक एवं लेखापाल द्वारा बर्सर के माध्यम से प्रशासी पदाधिकारी / प्राचार्य–सह–सदस्य सचिव को समर्पित किये जाने की पद्धति तत्काल अपनायी जाय।

(ii) विद्यालय के आपूर्तिकताओं, संवेदकों इत्यादि के विपत्रों के विधिवत जांच एवं पारित किये जाने उपरान्त, तत्सम्बन्धी भुगतान, यथा सम्भव, बैंक के माध्यम से RTGS पद्धति का अनुसरण करते हुए किया जाय। एतदर्थ बैंक को भुगतेय कमीशन राशि की कटौती संबन्धित विपत्र से ही की जाय, समिति निधि से इसकी कटौती नहीं की जाय। तद्नुसार संबन्धित सभी आपूर्तिकताओं, संवेदकों आदि को संसूचित किया जाय।

(iii) 'समिति' की ओर से विभिन्न भुगतान हेतु निर्गत किए जाने वाले चेक संप्रति प्राचार्य-सह-सदस्य सचिव तथा प्रशासी पदाधिकारी के द्वैत हस्ताक्षर से किये जा रहे हैं। विद्यालय में विद्यमान तत्सम्बन्धी पूर्व व्यवस्था को पुनः स्थापित करते हुए तथा साथ ही इस बात को दृष्टिपथ में रखते हुए कि प्रशासी पदाधिकारी का समिति नियमावली के अधीन विद्यालय परिसर में कार्यदायित्व अत्यधिक है, यह निर्णय लिया गया कि चेक-हस्ताक्षर की वर्तमान व्यवस्था को संशोधित करते हुए, समिति स्तर से निर्गत चेक प्राचार्य-सह-सदस्य सचिव एवं बर्सर के संयुक्त हस्ताक्षर से निर्गत किया जायगा। यह निर्णय तत्काल प्रभावी होगा एवं तदनुसार संबन्धित बैंक को सूचित कर दिया जाय।

(iv) प्रशासी पदाधिकारी, श्री सुहर्ष कुमार द्वारा वर्ष 2014-15 तथा 2015-16 की अवधि में अपने निजी वाहन से विद्यालय कार्यवश की गई यात्राओं के तद्नुरूप किये गए यात्रा-भत्ता राशि के दावों से संबंधित विपत्रों के प्राचार्य द्वारा पारित व प्रतिहस्ताक्षरित किया जाना, प्रभावी सुसंगत सरकारी प्रावधान के आलोक में समिति द्वारा अनधिकृत व अनियमित इंगित किया गया। संबन्धित पदाधिकारी को प्रभावी सरकारी प्रावधान के आलोक में निजी वाहन से की गयी यात्रा विषयक विपत्रों में तद्नुरूप यात्रा-भत्ता राशि के दावें की अनुमान्यता नहीं है। समिति द्वारा इस प्रकार के विपत्रों के भुगतान को अनियमित बताया गया। बैठक में उपस्थित प्रशासी पदाधिकारी को यह निदेश दिया गया वर्णित अवधि में यात्रा-भत्ता विपत्रों में निजी वाहन से की गई यात्रा-विषयक सभी विपत्रों के अस्वीकार्य होने के कारण तत्सम्बन्धी उन्हें भुगतान की गयी सम्पूर्ण राशि की गणना कर उसे एकमुश्त में समिति के बैंक खाते में जमा किया जाय। यह भी निदेश उन्हें दिया गया कि इसे एक माह के अन्दर जमा कर दें तथा तत्सम्बन्धी प्रतिवेदन प्राचार्य के माध्यम से समिति कार्यालय को दें। वर्णित अवधि

में की गयी यात्राओं के प्रसंग में, प्रावधानुसार, उन्हें अनुमान्य दरों पर प्राप्य भुगतेय की गणना कर, उनके संशोधन किए जायं।

(v) विद्यालय स्तर पर विगत महीनों में पुराने अनुपयुक्त सामग्रियों की, की गई नीलामी के क्रम में विहित प्रक्रिया एवं औपचारिकताओं के अनुसरण करते हुए, 31 मार्च,2016 के पूर्व कार्रवाई सम्पन्न की जाय ताकि जिन कक्षों में वे सामग्रियों जो विगत कई वर्षों से पड़ी हैं, उन्हें मुक्त करते हुए उपयोगार्थ लाया जा सके – ऐसे कक्षों में, एक तो ऑडिटोरियम है तथा दूसरा जीव विज्ञान प्रयोगशाला के पश्चिमी – उत्तर भाग अवस्थित बड़ा कमरा।

(vi) कार्यकारिणी समिति द्वारा पूर्व में लिए गए निर्णय के क्रम में प्रथम एवं तृतीय सेट के लिए एक–एक 25 KVA के Silent Power Generator Set सहित ऑडिटोरियम हेतु तथा सामान्य प्रयोग हेतु ट्रॉली सहित 78–82 KVA का एक Gen Set के क्रय तथा अधिष्ठापन 31 मार्च 2016 के पूर्व अपेक्षित कार्रवाई करते हुए पूरी कर ली जाय।

(vii) कार्यकारिणी समिति के पूर्व के निर्णय के अनुपालन में विद्यालय के लिए एक एम्बुलेन्स का क्रय 31 मार्च 2016 के पूर्व किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(viii) विद्यालय पुस्ताकालय हेतु क्रय किये जाने वाले पुस्तकों के चयन हेतु संबन्धित विषयों के शिक्षकों से मंत्रणा कर तत्काल सूची तैयार की जाय एवं तदोपरान्त उनके क्रय, बजटीय आवंटित राशि सीमाअन्तर्गत, किया जाना 31 मार्च,2016 के पूर्व सुनिश्चित किया जाय।

(ix) विद्यालय के कृषि शिक्षक का छात्रों को खाद्य–प्रसंस्करण के महत्व तथा कार्यविधि के प्रशिक्षणार्थ विद्यालय परिसर में एक छोटी इकाई स्थापना का प्रस्ताव है। इसमें, प्रारंभ में, कम लागत में – लगभग 5.00 लाख रूपये के अन्तर्गत–आवश्यक उपकरणों एवं तत्सम्बन्धी अधिष्ठापन व्यय आधारित कार्य की 'समिति' द्वारा स्वीकृति दी गई। तद्नुसार अनुवर्ती कार्रवाई 31 मार्च 2016 के पूर्व कर ली जाय।

4. वर्ष 2016 में विद्यालय की प्रवेश परीक्षा संचालन से संबन्धित गठित नियमावली प्रारूप बैठक में प्रस्तुत किया गया। प्रारूप की आद्योपान्त समीक्षा उपरान्त कतिपय संशोधनों के साथ उसे अनुमोदित किया गया। प्रशासी विभाग का, इस संबंध में, 'समिति' को यह अनुदेश विगत

लगभग 2 सप्ताह पूर्व दिया गया था कि एक माह के अन्दर नियमावली का प्रारूप गठित कर सरकार के अनुमोदनार्थ समर्पित किया जाय।

समिति नियमावली के नियम–20 के उपनियम (च) : में विहित प्रावधानानुसार **विद्यार्थियों की चयन प्रक्रिया अर्हताएं एवं चयन प्रक्रिया के कार्यान्वयन से संबन्धित विषय** कार्यकारिणी समिति के अधिकार एवं कार्य के अधीन वर्णित है। तथापि यह विषय नीतिमूलक होने के कारण कार्यकारिणी समिति का यह निर्णय हुआ कि अनुमोदित नियमावली प्रारूप की विधीक्षा (Vetting) हेतु 'समिति' के सामान्य निकाय की दिनांक–11 फरवरी 2016 को आहूत बैठक में, कार्यसूची में विधिवत् सम्मिलित किये जाने की कार्रवाई प्राचार्य –सह–सदस्य सचिव के स्तर पर की जाय।

5. प्राचार्य नेतरहाट विद्यालय के विज्ञाप्ति रिक्त पद के प्रसंग में प्राप्त आवेदकों की Short listing हेतु गठित स्क्रीनिंग समिति की कार्योपरान्त स्वीकृति दी गई। एतदर्थ चयन समिति के गठन हेतु सभापति को अधिकृत किया गया।

6. 15 जनवरी,2016 को प्रोजेक्ट भवन सभागार में आयोजित गुरूकुल परम्परा से संबन्धित विचारगोष्ठी के समापन–सत्र में गठित मंतव्यों एवं अनुशांसाओं तथा प्रतिवेदन के प्रारूप का प्रस्तुतीकरण, समयाभाव के कारण नहीं किया जा सका। इसे अगली बैठक की कार्यसूची में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

7. समीक्षा के क्रम में बैठक में उपस्थित भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियन्ता ने 'समिति' को अवगत कराया कि प्रथम सेट के तीन आश्रमों के जीर्णोद्धार एवं नवनिर्माण कार्यों के समापन पर उन्होंने दिनांक–1 फरवरी 2016 को विधिवत विद्यालय प्रशासन को हस्तान्तरित कर दिया है। बैठक में उपस्थित प्राचार्य ने इसकी पुष्टि की तथा 'समिति' को आश्वस्त किया कि पूर्व में, दिसम्बर 2015 में भवन निर्माण विभाग, को जीर्णोद्धार आदि कार्य हेतु, हस्तान्तरित चतुर्थ सेट के तीन आश्रमों के हस्तान्तरण के क्रम में अब द्वितीय एवं षष्ठम सेट के 6 आश्रमों के जीर्णोद्धार आदि कार्य हेतु हस्तांतरण भवन निर्माण विभाग को आगामी एक सप्ताह के अन्दर किये जा सकेंगे।

8. योजना मद में उपलब्ध राशि, कार्यपालक अभियन्ता भवन प्रमण्डल, लोहरदगा के अनुरोध के आलोक में उपलब्ध कराये जाने विषयक प्रस्ताव पर प्राचार्य-सह-सदस्य सचिव द्वारा याचित मार्गदर्शन पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में प्राचार्य को यह स्पष्ट किया गया कि भवन निर्माण प्रमण्डल, लोहरदगा द्वारा विगत माह योजना मद की लगभग रूपये 10.00 करोड़ राशि की विमुक्ति उन्हें किए जाने की मांग, दो नयी योजनाएं - **ऑडिटोरियम के जीर्णोद्धार तथा सुसज्जन कार्य, नये आठवें सेट के तीन आश्रमों के नवनिर्माण कार्य** - के विगत माह किये गये नये एकरारनामा के क्रम में, उनके कार्योन्वयन प्रारंभ किये जाने से संबन्धित है।

बैठक में उपस्थित कार्यपालक अभियन्ता ने पूर्व में 'समिति' द्वारा उन्हें विद्यालय परिसर के कुल सातों सेट के कुल 21 आश्रमों के जीर्णोद्धार एवं नवनिर्माण सहित अन्य पुरानी संरचनाओं - आचार्य निवास, स्टाफ क्वार्टर्स, चिकित्सालय, मुख्य भवन, प्राचार्य निवास, आदि - जिनके कार्य क्रियान्वित एवं प्रगति पर हैं, हेतु उन्हें उपलब्ध करायी गई 22.80 करोड़ रूपये की राशि का व्यय-विवरण दिनांक-25.01.2016 तक का, प्रस्तुत किया। बताया गया कि उन्हें उपलब्ध करायी गई राशि में से, उक्त तिथि पर, लगभग सात करोड़ रूपये अवशेष हैं, जो सम्प्रति क्रियान्वित, तीन आश्रम सेटों (द्वितीय, चतुर्थ एवं षष्ठम) के कुल 9 आश्रमों के जीर्णोद्धार आदि कार्यों के प्रसंग में भुगतानार्थ 31 मार्च 2016 तक पूर्णतः व्यवगत हो जायेंगे।

इस प्रकार, भवन निर्माण विभाग द्वारा आवेदित योजना राशि की विमुक्ति तत्काल नहीं किए जाने अथवा इसमें विलंब होने की स्थिति में, सम्प्रति, यथा उपुर्यक्त, दो योजनाओं के प्रारंभ किए गए कार्यान्वयन की प्रगति बाधित होगी, किंचित, संचालित कार्य रोक दिए जाने की विवशता होगी - ऐसा बैठक में उपस्थित कार्यपालक अभियंता ने इंगित किया।

विषयवस्तु की पूर्ण समीक्षा उपरान्त 'समिति' का यह अभिमत एवं निर्णय हुआ कि सम्प्रति 'समिति' द्वारा, 'समिति' के बैंक खाते में योजना मद की जमा राशि 5.00 (पांच) करोड़ रूपये, कार्यपालक अभियन्ता, भवन प्रमण्डल लोहरदगा को उपलब्ध करा दिया जाय। साथ ही, यह विचार भी हुआ कि 'समिति' को योजना मद में प्राप्य

2014–15 की 10 करोड़ रूपये की राशि तथा वर्तमान वर्ष 2015–16 का 15 करोड़ रूपये – कुल 25 (पच्चीस) करोड़ रूपये – की राशि शीघ्र विमुक्त किये जाने हेतु समिति कार्यालय द्वारा पूर्व में प्रेषित अनुरोध पत्र के क्रम में पुनः प्रशासी विभाग से आग्रह किया जाय।

9. प्रशासी विभाग द्वारा विगत माह प्राचार्य–सह–सदस्य सचिव को संसूचित 23 सूत्री अनुशंसा / अनुदेश / निर्णय के अनुपालनार्थ दिये गये पत्र में वर्णित विषयों को 'समिति' के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

उक्त विषय पर 'समिति' के स्तर पर गठित एजेन्डा नोट में प्रासंगित बिन्दुओं के विस्तारपूर्वक विवेचना आधारित प्रतिवेदन को बैठक में प्रस्तुत किया गया। सदस्यों द्वारा उसके अवलोकनोपरान्त यह निर्णय हुआ कि प्रशासी विभाग के संदर्भित 23 सूत्री निर्णयों आदि के प्रसंग में, गठित एजेन्डा नोट, जो स्वतः स्पष्ट है, प्रशासी विभाग तथा सामान्य निकाय के अध्यक्ष को अग्रसारित कर दिया जाय। तद्नुसार संसूचित संदर्भित 23 सूत्री निर्णयों आदि पर प्रशासी विभाग के स्तर पर, प्रशासनिक दृष्टि से, पुनर्विचार हो, इस आशय का अनुरोध किये जाने का निर्णय हुआ। तद्नुसार, प्राचार्य–सह–सदस्य सचिव को यह निदेश दिया गया कि वे दिनांक–11.02.2016 को आहूत सामान्य निकाय की बैठक की कार्यसूची की मद सं. 3 के प्रसंग में विषयवस्तु को पूर्णता से कार्यकारिणी समिति की ओर से प्रस्तुत करेंगें।

10. बैठक में उपस्थित समिति के विशेष कार्य पदाधिकारी, श्री प्रयाग दुबे ने निजी कारणवश 'समिति' के कार्य दायित्व से स्वयं को तत्काल मुक्त किए जाने का अनुरोध किया। विचारोपरान्त, 'समिति' ने उनके द्वारा विगत लगभग पांच वर्षों की अवधि में की गयी सेवाओं के लिए प्रशंसा तथा आभार व्यक्त करते हुए उनके अनुरोध को तत्काल प्रभाव से स्वीकार करने को निर्णय हुआ। साथ ही, इस संबंध में वैकल्पिक व्यवस्था होने तक श्री दुबे स्वेच्छा से पूर्ववत् 'समिति' के कार्यों के सहयोगार्थ उपलब्ध होंगे – यह पूर्णतः श्री दुबे के स्वविवेक तथा सहमति पर निर्भर होगा।

11. प्रशासनिक पदाधिकारी, श्री सुहर्ष कुमार के वर्णित परीक्ष्यमान अवधि के कार्यों तथा क्रियाकलापों की बैठक में समीक्षा की गयी। 'समिति' का

यह अभिमत था 'समिति' के लेखा संधारण वर्ष 2014-15 के चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा कराये गए अंकेक्षण तथा तत्संबंधी प्रतिवेदन में कई एक गंभीर त्रुटियों तथा आपत्तियों के उल्लेख हैं (उपर्युक्त कंडिका-3(क)) जिन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता। उक्त अवधि में, प्राचार्य के अधीन कार्यरत प्रशासी पदाधिकारी वित्त अनुभाग के पूर्ण प्रभार में थे। अतएव, बैठक में उपस्थित श्री कुमार को 'समिति' का यह निदेश हुआ कि इंगित सभी आपत्तियों व त्रुटियों का निराकरण उन्हें दी गयी समय सीमाा के अन्दर करते हुए तत्संबंधी प्रतिवेदन 31 मार्च, 2016 अथवा उसके पूर्व प्राचार्य के माध्यम से 'समिति' सभापित को समर्पित करें। साथ ही, उक्त विहित समय सीमा के अंदर, अन्य कई एक महत्वपूर्ण लंबित प्रशासनिक कार्य जो बिन्दुवार उन्हें नोट कराया गया, के क्रियान्वयन व पूरा किए जाने का उन्हें निदेश दिया गया।

श्री एस. कुमार, प्रशासी पदाधिकारी की परीक्ष्यमान-अवधि 2 वर्षों से अधिक हो चुकी है। अतएव, special dispensation उन्हें देते हुए समिति का उन्हें निदेश हुआ कि 31 मार्च, 2016 तक यथा ऊपर इंगित सभी कार्यों को कुशलतापूर्वक विहित समयावधि में पूर्ण करें तथा 'समिति' को प्राचार्य के मध्यम से संसूचित करें। अप्रैल,2016 में उनकी सेवा-संपुष्टि का विषय विचारित होगा।

12. <u>अन्यान्य</u> :

12.1 'समिति' द्वारा विज्ञापित इच्छा की अभिव्यक्ति (EoI) - विद्यालय परिसर के खेल मैदानों के पुनर्निर्माण एवं आधुनिकीकरण कार्य; निर्माणशाला के समीप Mineral Water Bottling Plants PPP मॉडल आधारित अधिष्ठापन - के प्रसंग में प्राप्त आवेदनों से संबन्धित एजेन्सियों के प्रतिनिधियों के साथ 'समिति' की दिनांक- 18 जनवरी,2016 को हुई Pre-bid Meeting की कार्यवाही, किये गये विचार-विमर्श को 'समिति' के साथ साझा किया गया। यह भी अवगत कराया गया कि Bid Committee की आगामी बैठक 15 फरवरी, 2016 को आहूत है तथा उसी दिन उन एर्जेसियों के Technical एवं Financial bid प्राप्त किए जाने की अन्तिम तिथि निर्धारित है। सफल Technical Bids के Financial Bids खोले जाने की तिथि 19 फरवरी, 2016 निर्धारित है।

12.2 नेतरहाट विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2015 के अन्तिम परिणाम घोषणा उपरान्त, इस आशय की सूचना कि छात्रों के अभिभावकों द्वारा व्यापक तौर पर झारखण्ड राज्य के स्थायी निवासी के गलत दावे विगत कुछेक वर्षों से किए जा रहे हैं, के आधार पर उक्त परीक्षा में घोषित उत्तीर्ण छात्रों के अभिभावकों के स्थायी पता की सत्यता की जांच हेतु गृह आयुक्त, झारखण्ड सरकार से अक्टूबर,2016 के प्रथम सप्ताह में आग्रह किया गया।

गृह आयुक्त कार्यालय द्वारा दिनांक–1 फरवरी,2016 को 'समिति कार्यालय' को प्रेषित उपर्युक्त विषयक जांच प्रतिवेदन का पत्र बैठक में प्रस्तुत किया गया। प्रतिवेदन में 62 छात्रों के प्रसंग में अंकित स्थायी पता सही पाये जाने का उल्लेख है। इस आधार पर बैठक में यह निर्णय हुआ कि प्रतिवेदन में इंगित सभी 62 छात्रों के विद्यालय में औपबन्धिक नामांकन शीघ्र किये जाएं। बैठक में उपस्थित प्राचार्य को यह निदेश दिया गया कि वे अपने स्तर से सभी 62 छात्रों के अभिभावकों को पत्र द्वारा शीघ्र सूचित कर दें तथा तत्सम्बन्धी एक समेकित सूची का 'आवश्यक सूचना' के रूप में स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन करा दें। यथासम्भव मार्च,2016 के प्रथम पक्ष में सफल घोषित छात्रों के नामांकन प्रक्रिया पूरी कर ली जाय, इस आशय का निदेश प्राचार्य को दिया गया।

12.3 विद्यालय के रसायन शास्त्र की प्रयोगशाला के जीर्णोद्धार आदि कार्य हेतु चयनित एजेन्सी द्वारा समर्पित Cost Estimate की तकनीकी स्वीकृति हेतु, भवन निर्माण विभाग को, समिति के विगत बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में, आग्रह किया गया था।

उक्त वर्णित कार्य हेतु तकनीकी स्वीकृति में सन्निहित राशि रूपये 26,63,550/–(छब्बीस लाख तिरसठ हजार पांच सौ पचास रूपये) इंगित हैं। विचारोपरान्त बैठक में समिति द्वारा इसकी प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी। प्राचार्य को निदेश दिया गया कि तत्सम्बन्धी अनुवर्त्ती कार्रवाई करते हुए संशोधित कायदिश आगामी 8–10 दिनों के अन्दर संबंधित एजेन्सी को निर्गत किया जाना सुनिश्चित करेंगे ताकि विद्यालय हित में उक्त प्रयोगशाला जीर्णोद्धार आदि कार्योपरान्त, छात्रों के व्यवहारार्थ पुनः उपलब्ध हो सके।

सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

N Bhagat
3.2.2016

(नरेन्द्र भगत)
सभापति,
कार्यकारिणी समिति,
नेतरहाट विद्यालय समिति,
रांची।